(b) if so, the details thereof;

(c) if not, the details of the information which is awaited;

(d) the details of the funds released, so far and the dates on which they have been released; and

(e) whether any of the funds in terms of amount and dates, received by the State go beyond the parameters set by the Finance Commission?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) to (c) The Government of West Bengal submitted a Memorandum seeking additional financial assistance of Rs. 89.46 crore from the National Fund for Calamity Relief (NFCR) for undertaking relief and rehabilitation measures in the wake of Tornado in March, 1998. This assistance has been sought under various sectors viz. agriculture, animal, fisheries, public health, forest, health, rural housing, power, Public Works Department, horticulture, rescue and relief.

(d) and (e) Under the existing scheme for financing relief expenditure the State Governments are required to undertake relief and rehabilitation measures in the wake of natural calamities out of the corpus of the Calamity Relief Fund (CRF). Additional assistance is also provided from the NFCR only in the wake of a calamity of rare severity.

In addition to release of the Central share of CRF amounting to Rs. 40.62 crore for the year 1997-98, first quarterly instalment of Central share of CRF amounting to Rs. 10.67 crore for the year 1998-99 has also been released on 1st April, 1998. The request of the State Government for assistance from the NFCR was examined and the situation caused by toranado was not considered as a calamity of rare severity on the basis of extent of damage and requirements of relief and rehabilitation.

कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी

136. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कृषि क्षेत्र में महिलाओं की समान भागीदारी और एक अलग पहचान बनाने के लिए कोई व्यापक योजना बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य-मुख्य विशेषताएं क्या हैं और क्या महिलाओं के अधिकार पूर्णतः सुरक्षित रखने के लिए कोई विशेष प्रावधान किए जाएंगे;

(ग) क्या कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और उनके मालिकाना हकों के बारे में अब तक कोई राज्य-वार व्यापक सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां,। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान "कृषि में महिलाएं" नामक एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना मार्गदर्शी आधार पर शुरू की थी ताकि महिला कृषकों को कृषि क्षेत्र में बराबर की भागीदारी प्रदान की जा सके और उनकी पृथक पहचान बनाई जा सके।

नौवीं योजना अवधि के दौरान इस स्कीम का और अधिक राज्यों/जिलों में विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) इस योजना में महिला कृषकों को समूह बनाने के लिए प्रेरित करने तथा संगठित करने की बात अनिवार्य रूप से निहित है। विस्तार, प्रशिक्षण, आदान और अन्य कृषि समर्थन संबंधी सभी सेवाओं को इन समूहों के माध्यम से संचालित किया जाता है। इन समूहों को विशिष्ट सोसायटियां बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। महिला तथा बाल विकास वर्तमान में राष्ट्रीय महिला अधिकार नीति की जांच कर रही है जिसमें पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों में बराबरी के लिए वचनबद्धता की मांग की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

Comprehensive Crop Insurance Scheme

137. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are sponsoring a Comprehensive Crop Insurance Scheme for all loanee farmers;